"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187] रायपुर, सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2002—श्रावण 7, शक 1923

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2002

अधिसूचना

क्रमांक 488.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27, सन् 1960) की धारा 9 (1) द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक न्यायालय गठन करती है.

Raipur, the 29 th July 2002

NOTIFICATION

No. 488.—In exercise of the powers conferred by Section 9 (1) of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Govt. hereby constitutes an Industrial Court for the purpose of this Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.